FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

गोमाराम बनाम मगा उर्फ मगाराम व अन्य

किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 42/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4-4-19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 RTAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 15/4/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
15/04/19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का सम्मन तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-1 का सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 18/06/19 को पेश हो।	
18/06/19	वादी वकील उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 20/08/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:20:01 IST
Reason: SelfAttested

20/08/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर दिनांक 16/10/19 को पेश हो।

16/10/19

वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री रामदयाराम स्वामी द्वारा वकालतनामा मय इकबाली जवाबदावा पेश किया गया / वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी संख्या-1 PW-1 गोमाराम पुत्र मगा उर्फ मगाराम जाति-मेघवाल निवासी-ढोलू तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर व स्वतंत्र गवाह PW-2 श्री गोपालसिंह पुत्र श्री अमेदसिंह जाति-राजपूत निवासी-ढोलू तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश किये गये तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या-1 DW-1 मगा उर्फ मगाराम पुत्र श्री जवाना जाति-मेघवाल निवासी-ढोलू तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर का शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया / प्रतिवादी संख्या-3 बावजूद तामिल अनुपस्थित / न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई प्रतिवादी संख्या-3 स्वयं या इनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 06/11/19 को पेश हो /

06/11/19

वकुलाय फरीकैन उपस्थित / दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया / अंतिम डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो /

6.11.19

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:20:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 42/2019

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. गोगाराम पुत्र मगा उर्फ भगाराम 2. प्रभूराम पुत्र मगा उर्फ भगाराम 3. राजूराम पुत्र मगा उर्फ भगाराम जातियान्–मेघवाल, निवासीयान–कोलू, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		1. मगा उर्फ भगाराम पुत्र जवाना जाति मेघवाल निवासी कोलू तहसील बायतु जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार, बायतु 3. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बाटाडू

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

दिनांक :–06/11/2019

उपस्थित :– 1. श्री रिणछाराम सियाग वकील वादीगण

2. श्री घमण्डाराम सारण वकील प्रतिवादी संख्या 1

–: निर्णय :–

वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा कोलू पटवार मण्डल कोलू के खेत खसरा नम्बर 351, 355 रकबा क्रमशः 49.11, 00.05 बीघा की आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 पूर्वज जवाना के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त तथा बाद में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि मौजा कोलू पटवार मण्डल कोलू में प्रत्येक वादीगण को 1/4–1/4 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषणा करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:20:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 के वकील द्वारा वकालातनामा व इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि मौजा कोलू पटवार मण्डल कोलू में प्रत्येक वादीगण को 1/4–1/4 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं का 1/4 हिस्सा घोषित करने व सहखातेदार काश्तकार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान दी है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा जवाना के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण जवाना के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त भूमि मौजा कोलू पटवार मण्डल कोलू में प्रत्येक वादीगण को 1/4–1/4 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा कोलू पटवार मण्डल कोलू के खेत खसरा नम्बर 351, 355 रकबा क्रमशः 49.11, 00.05 बीघा में प्रत्येक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4–1/4 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगा। निर्णय अनुसार डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:20:01 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

अनवान्

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. गोगाराम पुत्र मगा उर्फ भगाराम 2. प्रभूराम पुत्र मगा उर्फ भगाराम 3. राजूराम पुत्र मगा उर्फ भगाराम जातियान्–मेघवाल, निवासीयान–कोलू, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		1. मगा उर्फ भगाराम पुत्र जवाना जाति मेघवाल निवासी कोलू तहसील बायतु जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार, बायतु 3. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बाटाडू

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–42 / 19. **निर्णय दिनांक :– 06.11.2019**

वादी की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06.11.2019 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा कोलू पटवार मण्डल कोलू के खेत खसरा नम्बर 351, 355 रकबा क्रमशः 49.11, 00.05 बीघा में प्रत्येक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4–1/4 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगा। तहसीलदार बायतु निर्णयनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 06.11.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 12:20:01 IST
Reason: SelfAttested